



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2808]

नई दिल्ली, रविवार, अक्टूबर 1, 2017/आश्विन 9, 1939

No. 2808]

NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 1, 2017/ASVINA 9, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3209(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के भीतर आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 04.08.2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2467 (अ) के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिए, जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की बीस कि.मी. चौड़ी पट्टी को घटाकर दस कि.मी. चौड़ी पट्टी कर दिया गया है।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2017

S.O. 3209(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification SO 2467(E), dated 04.08.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam, has been undertaken.

Now, therefore, the twenty kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam is reduced to ten kms belt as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2018 w.e.f. 01.10.2017, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

5966 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

**ALOK
KUMAR**

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 2017.10.01
16:20:53 +05'30'